(b) if so, the details thereof and the reasons therefore; and

(c) the steps taken to revive these mills?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (c) The BIC Ltd., and its two cotton subsidiaries namely, Elgin Mills Co. Ltd., and Cawnpore Textiles Ltd., were referred to the BIFR due to their net worth erosion. The BIFR had recommended winding up of these companies. The Companies had gone in appeal before the AAIFR and obtained a stay. After due consideration, the AAIFR dismissed the appeals of these Companies against the winding up orders on 9.5.1997. The matters of winding up of these Companies is at present sub-judice before the High Court at Allahabad.

In respect of BIC cotton Subsidiaries, Government are offering VRS facilities to the workmen of these mills with a view to protecting their interests. In addition, wages/salaries are also being paid as also arrears of statutory dues. These facilities have been extended as a special concession for a period of three months. As far as BIC Ltd., is concerned Government is presently continuing to provide budgetary support towards payment of salaries, wages and bonus.

Modernisation of Textile Mills

916. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to modernise some textile mills in the country during the year 1997-98;

(b) if so the details thereof and total amount of investment proposed to be made for modernisation of textile mills in the country particularly in the State of Punjab and Uttar Pradesh; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (c) A proposal is under formulation to facilitate modernisation, through technological upgradation, of the textiles industry. The intended objective is to improve production and productivity of the Indian Textile Industry to make it more competitive, including in the export market. Details of a Technology Upgradation Fund for textiles and jute industries are being worked out.

Operation and maintenance of Irrigation Projects

917. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state the percentage of the expenditure under the administrative head in the expenditure on the operation and maintenance or irrigation projects in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): As per details regarding operation and maintenance costs on Major & Medium irrigation projects available upto March 1994 (latest), the percentage of administrative expenses to overall operation and maintenance costs is about 8.2(%) for the year 1993-94.

गुजरात में लिफ्ट सिंचाई केन्द्र

918. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने लिफ्ट सिंचाई केन्द्र चालू हालत में हैं;

(ख) क्या पचास प्रतिशत से अधिक लिफ्ट सिंचाई केन्द्र चालू हालत में नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने हेतु और सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) गुजरात में 173 लिफ्ट सिंचाई केन्द्र चालू हालत में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 131 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के बन्द होने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

(घ) गुजरात सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल मुहैय्या कराने के लिए किए गए उपायों में हैं: क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत करना, गैर सरकार संगठनों को शामिल करते हुए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए किसानों को प्रेरित करना और इन योजनाओं के लिए शीघ्र बिजली कनेक्शन देना।

विवरण

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के बंद होने के कारण

1. जल स्रोत का सूख जाना।

2. गुजरात सरकार की नीति के अनुसार हिताधिकारियों को योजना चलानी है परन्तु कई मामलों में वे योजना चलाने में असफल हो जाते हैं।

3. बिजली शुल्कों का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप बिजली का कनेक्शन काटा जाना।

4. संरचनाओं का क्षतिग्रस्त होना।

5. सिंचाई के लिए हिताधिकारियों को वैकल्पिक स्रोत मिलना।

6. कुछ मामलों में, गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा अभी बिजली प्रदान की जानी है।

मध्य प्रदेश में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु योजना

919. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस० सुरजेवाला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में छह जिलों अर्थात राजनंदगांव, धार, मांडला, करडल (मुरैना), शाजापुर तथा राजगढ़ में 3257.39 लाख रु० की लागत से उनके द्वारा तैयार की गई भू-जल पुनर्भरण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने के रास्ते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 1996 में खंडवा जिले में बोलाना अंतः स्रवण (परकोलेशन) टैंक सम्बन्धी योजना के लिए बोलाना अंतः स्रवण टैंक तथा गली प्लग्स के निर्माण के वास्ते 10.97 लाख रु० अनुमानित लागत की एक स्कीम भी प्राप्त हुई थी।

(ख) भू-जल पुनर्भरण में राज्यों को सहायता करने के लिए राज्य सरकार को कुछ परियोजनाओं को केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था तथापि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित न किए जाने के कारण केन्द्र प्रायोजित स्कीम बंद कर दी गई है।

Unsafe Dams in the country

920. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have made the hydrological review of dams in the country and found that some of these dams are unsafe;

(b) if so, the details of those unsafe dams; and

(c) the steps taken for the proper renovation and repair of those unsafe dams?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): (a) Under the Ongoing Dam Safety Assurance and Rehabilitation Project (DSARP) assisted by the World Bank, hydrology review of 59 identified dams has been completed in four participating states of Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Tamil Nadu. The revised design flood values of all these dams are higher than the values adopted during the initial designs